



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-104 / 2019
दिनांक : 18.12.2019

शुद्धिपत्र

कवि कुलगुरु कालिदास विश्वविद्यालय, रामटेक में आयोजित 'अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन' में सहभागिता हेतु कार्यालयादेश संख्या 003 / 2003 / का.आ. / 02-103 / 2019 दिनांक 17.12.2019 के माध्यम से अनुमति प्रदान की गई थी। उपर्युक्त सम्मेलन की तिथि को दिनांक 10-12 जनवरी 2019 के स्थान पर दिनांक 10-12 जनवरी 2020 पढ़ा जाए।

शेष विवरण यथावत रहेगा।

प्रति : सभी संबंधित (ईमेल द्वारा)

कादर खान
(कुलसचिव)
18/12/19

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष (ईमेल द्वारा)
3. वित्त अधिकारी
4. संबंधित कर्मी (ई-मेल द्वारा)